भारत दस रुपये INDIA FIVE RUPEES

450

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2012 निगरानी — R 2655 PBR/12

1. शंभू सिंह
2. नीरज सिंह

पुत्रगण प्रीतम सिंह रघुवंशी , निवासीगण — ग्राम पवई तहसील बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

....., निगरानीकर्तागण

श्री एच० के० गोयल, अधि
द्वारा आज दि 22-8-12 को
प्रस्तुत
22-8-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमती रिंकी बाई विधवा पत्नी स्व. श्री यशवंत सिंह
2. शिवा पुत्र स्व. यशवंत सिंह नावालिग व सरपरस्ती माता श्रीमती रिंकी बाई

निवासीगण — बरेउ रोड नवांकुर वाली गली वार्ड नं. 8 गौरव श्रीवास्तव का मकान, गंज बासौदा , जिला विदिशा म.प्र.

एच. के. गोयल
एड.
22/8/12

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

तहसीलदार गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 144/अ–3/11–12 में दिनांक 28/6/ 2012 को पारित बंटाकन स्वीकृत करने एवं प्रकरण क्रमांक 112/अ–12/11–12 में दिनांक 30/6/ 2012 बाबत सीमाकंन कराने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत।

श्रीमान न्यायालय ,

निगरानीकर्तागण की ओर से वर्तमान निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:—

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

(450)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2655-पीबीआर/12 **जिला - विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	